राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3503/2025

रामेश्वरलाल मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–।। के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Mandavjher, पीपलखूट, जिला प्रतापगढ़ में कार्यरत है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के पत्रांक दिनांक 14.11.2024 की पालना में विभिन्न कारणों से अधिशेष कार्मिकों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद पर समायोजन/पदस्थापन किए जाने के संबंध में आदेश 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माडवी ब्लॉक सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Mandavjher, पीपलखूट, जिला प्रतापगढ़ में किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि ब्लॉक सुहागपुर में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–।। हिन्दी के कई पद रिक्त है, परन्तु उक्त पदों को काउंसलिंग के दौरान दर्शाया नहीं गया। उक्त संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन दिनांक 10.12.2024 (अनुलग्नक–2) प्रस्तुत किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया।

अपीलार्थी के माता–पिता वृद्ध है, जो अक्सर बीमार रहते हैं एवं बच्चे अध्ययनरत है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी की ही है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य